सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/6 दर्ज तिथिः—20.01.2025

1. डालूराम पुत्र दोराजराम
   जाति जाट निवासी निवासी जेठासर, पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा।

.....वादी

बनाम

1. आईदानराम पुत्र दौलाराम
2. पुरखाराम पुत्र दौलाराम
3. भंवरलाल पुत्र दौलाराम
4. चेनीदेवी पत्नी दौलाराम
5. ईसराराम पुत्र चोखाराम
6. गुणा पुत्र चोखा
7. पोकराराम पुत्र चोखाराम
8. मेगाराम पुत्र चोखाराम फौत कायम मुकाम वारिसान
   8/1 जसाराम पुत्र मेघाराम
   8/2 चम्पादेवी पत्नी मेघाराम
9. पैलादराम पुत्र हरखाराम
10. रूपाराम पुत्र धर्माराम
11. सताराम पुत्र धर्माराम
12. सताराम पुत्र केसाराम
    जाति जाट निवासी जेठासर पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा।

.....असल प्रतिवादीगण

13. राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी संख्या 9 ता 12:—श्री राजेश जाणी
प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 20.02.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 436/17.6847 है0, 442/0.0405 है0, 443/0.0809 है0, 444/13.3546 है0, मौजा जेठासर एवं खसरा संख्या 444/2/0.7524 है0 मौजा खारड़ी बेरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का हिस्सा खुला हुआ हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामिल जरिये असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 द्वारा जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि मुतनाजा आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के प्रतिदावा के संलग्न परिशिष्ट—अ के अनुसार विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 09 ता 12 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा किया जावे।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किए गयेः—

    1. *आया वादी वादवर्णित संयुक्त आराजी पर हाल जमाबंदी हिस्सा अनुसार खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

    .....वादी

    2. *आया वादी वादवर्णित संयुक्त आराजी पर हाल जमाबंदी हिस्सा अनुसार पृथक खाता कायम करवाकर खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

.....वादी

3. *आया वादी वादवर्णित संयुक्त आराजी पर हाल जमाबंदी हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार पृथक खाता कायम कर खाता विभाजन कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादवर्णित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

.....वादी

4. *आया प्रतिवादी संख्या 09—12 वादवर्णित संयुक्त आराजी पर हाल जमाबंदी हिस्सा तथा वहामी बंटवारे व कब्जे काश्त अनुसार पृथक खाता कायम करवाकर खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।*

..... प्रतिवादी संख्या 09—12

5. *आया प्रतिवादी संख्या 09—12 वादवर्णित संयुक्त आराजी पर हाल जमाबंदी हिस्सा तथा वहामी बंटवारे व कब्जा काश्त अनुसार पृथक खाता कायम कर खाता विभाजन कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादवर्णित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

..... प्रतिवादी संख्या 09—12

6. *आया प्रतिवादी संख्या 01—08 वादवर्णित संयुक्त आराजी पर हाल जमाबंदी हिस्सा तथा परिशिष्ठ अ के अनुसार पृथक खाता कायम करवाकर खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।*

..... प्रतिवादी संख्या 01—08

7. *आया प्रतिवादी संख्या 01—08 वादवर्णित संयुक्त आराजी पर हाल जमाबंदी हिस्सा तथा परिशिष्ठ अ के अनुसार पृथक खाता कायम कर खाता विभाजन कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादवर्णित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

..... प्रतिवादी संख्या 01—08

8. *अन्य दादरसी*

.....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 03 आधार संवत 2072—75 जमाबंदी—2078	प्रदर्श—01
नक्षा	खसरा संख्या 444 मौजा जेठासर	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 56 आधार सम्वंत 2076—2079 जमाबंदी	प्रदर्श—03
नक्शा	खसरा संख्या 444/2 मौजा खारड़ी बेरी	प्रदर्श 04
जमाबंदी	खाता संख्या 04 आधार सम्वंत 2072—2075 जमाबंदी	प्रदर्श—05
नक्शा	खसरा संख्या 436 मौजा जेठासर	प्रदर्श 06

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

गवाह	नाम	जाति	निवासी
पी.डब्ल्यू—01	डालुराम पुत्र देराजराम	जाट	जेठासर तहसील नोखड़ा
पी.डब्ल्यू—02	कलाराम पुत्र डुंगराराम	जाट	जेठासर तहसील नोखड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 12 द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य या गवाह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
परिशिष्ट—अ	प्रतिदावा के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट—अ	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 56 आधार सम्वंत 2076—2079 जमाबंदी	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 04 आधार सम्वंत 2072—2075 जमाबंदी	प्रदर्श—03
जमाबंदी	खाता संख्या 03 आधार संवत् 2072—75 जमाबंदी—2078	प्रदर्श 04
नक्षा	खसरा संख्या 444 मौजा जेठासर	प्रदर्श—05
नक्शा	खसरा संख्या 442 मौजा जेठासर	प्रदर्श 06
नक्शा	खसरा संख्या 436 मौजा जेठासर	प्रदर्श—07
नक्शा	खसरा संख्या 444/2 मौजा खारड़ी बेरी	प्रदर्श—08

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

गवाह	नाम	जाति	निवासी
डी.डब्ल्यू—01	ईसराराम पुत्र चोखाराम	जाट	जेठासर तहसील नोखड़ा
डी.डब्ल्यू—02	गणेशाराम पुत्र सोनाराम	जाट	जेठासर तहसील नोखड़ा
डी.डब्ल्यू—03	गुणेशाराम पुत्र जोगाराम	जाट	जेठासर तहसील नोखड़ा

8. प्रकरण में दिनांक 28.07.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/कोर्ट/2024/892 दिनांक 14.10.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण के दौरान सभी पक्षकारान उपस्थित रहे तथा तहसीलदार नोखड़ा के द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा मौके पर ही तैयार किया गया। प्रकरण में नजरी नक्शा निम्न प्रकार है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

9. प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/कोर्ट/2024/892 दिनांक 14.10.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 08.09.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1433—1446 दिनांक 25.08.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 08.09.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1433—1446 दिनांक 25.08.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 08.09.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

10. प्रकरण में उक्त संशोधित प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा पर मौके पर ही सभी पक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की। प्रकरण में संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर उभय पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072—2075 व 2076—2079 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या संख्या 436/17.6847 है0, 442/0.0405 है0, 443/0.0809 है0, 444/13.3546 है0, मौजा जेठासर एवं खसरा संख्या 444/2/0.7524 है0 मौजा खारड़ी बेरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

11. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

12. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

13. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

14. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या संख्या 436/17.6847 है0, 442/0.0405 है0, 443/0.0809 है0, 444/13.3546 है0, मौजा जेठासर एवं खसरा संख्या 444/2/0.7524 है0 मौजा खारड़ी बेरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
सताराम पुत्र केसाराम जाति जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.5504 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	444	7.1271 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	436	0.7129 है0	बा0सो0
	पूर्ण	खारड़ी बेरी	444/2	0.1881 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 8.5785 है0					
प्रहलादराम पुत्र देराजराम कौम जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.1293 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	436	6.3128 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	446	0.3237 है0	बा0सो0
	पूर्ण	खारड़ी बेरी	444/2	0.1881 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 6.9539 है0					
डालूराम पुत्र देराजराम कौम जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	443	0.0809 है0	गै0मु0 ढाणी
	पूर्ण	जेठासर	444	1.2303 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	436	2.4779 है0	बा0सो0
	पूर्ण	खारड़ी बेरी	444/2	0.0940 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 3.8831 है0					
रूपाराम पुत्र धर्माराम	1/2	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
सताराम पुत्र धर्माराम कौम जाट सा0 देह	1/2	जेठासर	436	1.2388 है0	बा0सो0
		खारड़ी बेरी	442/2	0.0471 है0	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 1.9415 है0					
चेनीदेवी पत्नी दोलाराम	1/6	जेठासर	442	0.0405 है0	गै0मु0ढाणी
पुरखाराम पुत्र दोलाराम	5/18	जेठासर	444	0.6151 है0	बा0सो0
भंवरलाल पुत्र दोलाराम	5/18	जेठासर	436	1.2389 है0	बा0सो0
आईदानराम पुत्र दोलाराम कौम जाट सा0 देह	5/18	खारड़ी बेरी	444/2	0.0470 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 1.9415 है0					
गुणेशाराम पुत्र चोखाराम जाति जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	1.1581 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	0.0809 है0	बा0सो0
		खारड़ी बेरी	444/2	0.0470 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 1.9416 है0					
पोकरराम पुत्र चोखाराम कौमा जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	1.1580 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	0.0809 है0	बा0सो0
		खारड़ी बेरी	444/2	0.0470 है0	बा0सो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 04 रकबा 1.9415 है0					
मेगाराम पुत्र चोखाराम कौम जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	1.1580 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	0.0809 है0	बा0सो0
		खारड़ी बेरी	444/2	0.0470 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 1.9415 है0					
ईसराराम पुत्र चोखाराम कौम जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	1.1579 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	0.0809 है0	बा0सो0
		खारड़ी बेरी	444/2	0.0471 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 1.9415 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा पर निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/6 दर्ज तिथिः—20.01.2025

1. डालूराम पुत्र दोराजराम
   जाति जाट निवासी निवासी जेठासर, पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा।

.....वादी

बनाम

1. आईदानराम पुत्र दौलाराम
2. पुरखाराम पुत्र दौलाराम
3. भंवरलाल पुत्र दौलाराम
4. चेनीदेवी पत्नी दौलाराम
5. ईसराराम पुत्र चोखाराम
6. गुणा पुत्र चोखा
7. पोकराराम पुत्र चोखाराम
8. मेगाराम पुत्र चोखाराम फौत कायम मुकाम वारिसान
   8/1 जसाराम पुत्र मेघाराम
   8/2 चम्पादेवी पत्नी मेघाराम
9. पैलादराम पुत्र हरखाराम
10. रूपाराम पुत्र धर्माराम
11. सताराम पुत्र धर्माराम
12. सताराम पुत्र केसाराम
    जाति जाट निवासी जेठासर पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा।

.....असल प्रतिवादीगण

13. राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार नोखड़ा

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादी संख्या 9 ता 12:—श्री राजेश जाणी
प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या संख्या 436/17.6847 है0, 442/0.0405 है0, 443/0.0809 है0, 444/13.3546 है0, मौजा जेठासर एवं खसरा संख्या 444/2/0.7524 है0 मौजा खारड़ी बेरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
सताराम पुत्र केसाराम जाति जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.5504 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	444	7.1271 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	436	0.7129 है0	बा0सो0
	पूर्ण	खारड़ी बेरी	444/2	0.1881 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 8.5785 है0					
प्रहलादराम पुत्र देराजराम कौम जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.1293 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	436	6.3128 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	446	0.3237 है0	बा0सो0
	पूर्ण	खारड़ी बेरी	444/2	0.1881 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 6.9539 है0					
डालूराम पुत्र देराजराम कौम जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	443	0.0809 है0	गै0मु0 ढाणी
	पूर्ण	जेठासर	444	1.2303 है0	बा0सो0
	पूर्ण	जेठासर	436	2.4779 है0	बा0सो0
	पूर्ण	खारड़ी बेरी	444/2	0.0940 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 3.8831 है0					
रूपाराम पुत्र धर्माराम	1/2	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
सताराम पुत्र धर्माराम		जेठासर	436	1.2388 है0	बा0सो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

कौम जाट सा0 देह	1/2	खारड़ी बेरी	442/2	0.0471 है0	बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 1.9415 है0					
चेनीदेवी पत्नी दोलाराम	1/6	जेठासर	442	0.0405 है0	गै0मु0ढाणी
पुरखाराम पुत्र दोलाराम	5/18	जेठासर	444	0.6151 है0	बा0सो0
भंवरलाल पुत्र दोलाराम	5/18	जेठासर	436	1.2389 है0	बा0सो0
आईदानराम पुत्र दोलाराम कौम जाट सा0 देह	5/18	खारड़ी बेरी	444/2	0.0470 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 1.9415 है0					
गुणेशाराम पुत्र चोखाराम जाति जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	1.1581 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	0.0809 है0	बा0सो0
		खारड़ी बेरी	444/2	0.0470 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 1.9416 है0					
पोकरराम पुत्र चोखाराम कौमा जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	1.1580 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	0.0809 है0	बा0सो0
		खारड़ी बेरी	444/2	0.0470 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 1.9415 है0					
मेगाराम पुत्र चोखाराम कौम जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	1.1580 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	0.0809 है0	बा0सो0
		खारड़ी बेरी	444/2	0.0470 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 1.9415 है0					
ईसराराम पुत्र चोखाराम कौम जाट सा0 देह	पूर्ण	जेठासर	444	0.6556 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	1.1579 है0	बा0सो0
		जेठासर	436	0.0809 है0	बा0सो0
		खारड़ी बेरी	444/2	0.0471 है0	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 1.9415 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं संशोधित प्रस्ताव व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested

यह डिक्री आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.24 16:45:22 IST
Reason: SelfAttested